मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3358
20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थी

3358. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थियों को आवास आबंटित किए गए हैंः

(ख) विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है:

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने आवास आबंटित किए गए; और

(घ) महाराष्ट्र में शेष पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत आवास के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है और इसके क्या कारण है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'सभी के लिए आवास' के विजन के तहत, महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को वित्त पोषण पैटर्न

और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा अनुपालनों के आधार पर स्वीकृत आवासों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है।

पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में लगभग 6.80 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को 14,656 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना की शुरुआत से लेकर पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों के साथ-साथ स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। अभी तक, महाराष्ट्र सहित 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और संचालन दिशा निर्देश के लिए एकीकृत वेब पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in.** पर देख सकते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 92,000 आवासों सहित 6.77 लाख आवासों के आवंटन के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

*****

दिनांक 20-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3358 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	विवरण	शुरूआत से अब तक	पिछले पांच वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2019-24)
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	13,64,923	7,87,148
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	10,90,921	7,81,708
3	पूर्ण आवास (संख्या)	8,85,892	6,80,691
4	सौंपे गए आवास(संख्या)	8,08,693	6,05,555
5	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	25,548.21	15,895.64
6	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	19,323.38	14,656.31

*****